तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... में जा...
08/10/25	वादी वकील उपस्थित। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन के उक्त विवादित भूमि वादी की पैतृक साबित होती है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, डिक्री पर्चा जारी होकर, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 20:21:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री कल्पित शिवरान R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या—47 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसाराम पुत्र श्रीरामाराम 2. विरधाराम पुत्र श्रीरामाराम जाति जाट निवासी माधासर तहसील बायतु जिला बालोतरा।		1. श्रीरामाराम पुत्र पुरखाराम 2. चनणाराम पुत्र पुरखाराम 3. हीराराम पुत्र पुरखाराम 4. जगदीश पुत्र चनणाराम 5. जेती पत्नि चनणाराम जाति जाट निवासी माधासर तहसील बायतु जिला बालोतरा। 6. तहसीलदार बायतु।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

उपस्थित :—

1 श्री किशनाराम् वकील वादीगण

2 श्री जगदीश गोदारा् वकील प्रतिवादी संख्या 03

—: निर्णय :—

दिनांक : 26.11.2024

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,188,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व संयुक्त कब्जा शुदा खातेदारी की भूमि मौजा माधासर पटवार माधासर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 37.8693 हैक्टेयर व मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 633 रकबा 27.7487 हैक्टेयर की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जेकाश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा तथा बाद में दादा पुरखाराम की फौतगी होने पर उनके हिस्से की कृषि भुमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दु पुरुष के पुत्र पौत्र एवं प्रपौत्र का जन्म से अधिकार है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ 1/3 — 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/9—1/9 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का यह वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों [illegible] भेजकर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब [illegible] नही [illegible] जाने पर प्रतिवादी संख्या 03 का जवाब बन्द किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 05 बावजूद [illegible] के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 सहखातेदार [illegible] से एवं प्रतिवादी संख्या 06 भुमिपति होने के कारण पक्षकार बनाया गया इनसे कोई इस्तदुआ नही चाही [illegible] वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रुप में वादी संख्या 01 स्वयं जसाराम पुत्र श्रीरामाराम जाति जाट निवासी माधास[illegible] तहसील बायतु जिला बालोतरा का शपथपत्र PW 1 पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 20:21:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से के साथ वादीगण प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/9–1/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा गणासर पटवार गणासर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 86 रकबा 37.8693 हैक्टेयर व मौजा जोगासर पटवार मण्डल बायतु भोपजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 633 रकबा 27.7487 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में वादीगण प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/9–1/9 हिस्से कि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(कल्पित शिवरान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को खुली अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 20:21:55 IST
Reason: SelfAttested